

न्यायालय- (३०) जमानत अमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा जिला- कोरबा छपगो

आपराधिक प्र० के० - २७३९/२२

आपराधिक प्र० के० - २७३९/२२

// निर्णय //

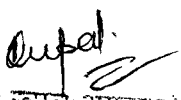
(आज दिनांक १६/११/२०१८ को घोषित)

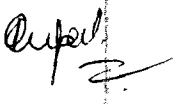
१. आरोपीगण को धारा ३६ (च) १ छ०ग० आवकारी अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण पत्रक में अपराध विवरण अपराध की विशिष्टियों के संबंध में तैयार कर उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने स्वेच्छापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया है। आरोपी की स्वीकारोक्ति अंकित किया गया है। आरोपी की स्वीकारोक्ति एवं अन्य अभिलेखगत साक्ष्य के आधार पर उसे धारा ३६ (च) १ छ०ग० आवकारी अधिनियम के अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दंडित किये जाने पर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाना संभावित है। अतः आरोपी को धारा ३६ (च) १ छ०ग० आवकारी अधिनियम के अपराध हेतु रुपये १०००/- के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसे १० के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाता है।

प्रकरण में जप्त शुद्ध मदिरा व अन्य मूल्यहीन संपत्ति को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही किया जावे।

निर्णय दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।


(३०) जमानत अमानत
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा जिला- कोरबा
कटघोरा, जिला कोरबा (छ०ग०)


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा जिला- कोरबा
कटघोरा, जिला कोरबा (छ०ग०)